

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक  
उप सचिव।  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
30प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 04 सितम्बर, 2017

विषय: शारदा नगर कालोनी के रेनोवेशन का कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, 30प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2210/आई0बी0/अनु0-94, दिनांक 21-08-2017 एवं शासनादेश संख्या-1289/16-सत्ताईस-9-40भवन/15, दिनांक 13-06-2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शारदा नगर कालोनी के रेनोवेशन का कार्य की परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान में प्राविधानित बजट व्यवस्था रू0 233.80 लाख में से उक्त परियोजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 1,37,27,000.00 (रूपया एक करोड़ सैंतीस लाख सत्ताईस हजार मात्र) की धनराशि औपचारिक रूप से व्यय हेतु अवमुक्त करने की महामहिम राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी की परियोजना के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश दिनांक 13-06-2016 में अंकित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता एक सप्ताह के अन्दर परियोजना की भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायेगें एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य शासन को उपलब्ध करायें।
- (2) उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
- (3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
- (5) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (8) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।
  - (9) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपाजिट खाते में न रखी जायेगी।
  - (10) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
  - (11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
  - (12) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
  - (13) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखा शीर्षक-4700-09-051-10-1014-24 के नामे डाला जायेगा।
- 3- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

शिव कुमार पाठक

उप सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 3- मुख्य अभियन्ता (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, 30प्र0, लखनऊ
- 4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, 30प्र0शासन।
- 5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

शिव कुमार पाठक

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।